केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22.5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार - 2018 में अटल सेवा केन्द्र काजीपुरा पेश हुई। पत्रकारान उपस्थित है। मूल वाद विद्वा होकर खाजगी हो चुका है इसलिये T.I. प्रा० पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः मूल वाद के परिपेक्ष में T.I. प्रा० पत्र भी खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रोकड़ हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

सहमती के कारण हो चुका है अतः [illegible] करने का [illegible] करा के

[illegible]

(डा. किशनलाल)

रामदेव

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक